कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी,(मुख्यालय) माध्यमिक,जैसलमेर

कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/मा/संस्था/एफ–1/12102/शा.शि.ग्रेड–III/सी.म./वो–I/2017–18 दिनांक 29.11.19 के अनुसरण में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थी जिनकी शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता दस्तावेज राज्य के बाहर के थे, का संबंधित शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त उपरांत राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा तृतीय श्रेणी वेतन श्रृंखला शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर भर्ती 2018 हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल–10 में प्रोबेशनरी ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/–रू प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ 12(6) एफडी नियम /5 दिनांक 13–3–2006 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन पर नियत मानदेय के रूप में देय होगा । प्रोबेशनरी ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महँगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता,शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महँगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन,बोनस आदि देय नही होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी तथा उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नही माना जावेगा ।
वित्तविभाग के आदेश कमांक एफ–12(9) एफडी (रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी ।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करें –

1 नियुक्ति पर कार्यग्रहण से पूर्व संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एवं सदाचरण रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे । इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्य ग्रहण नहीं करवाया जावेगा । पूर्व से राजकीय सेवामें सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा ।

2 सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे । इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्य ग्रहण नहीं करवाया जावेगा । पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिको हेतु यह आवश्यक नहीं होगा ।

3 चयनित आशार्थियों के पदस्थापन के द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता,आयु जाति आरक्षण सम्बन्धी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति अपनें कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे,कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम आदेश प्राप्त करनें के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेगे ।

4 नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवानें से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक–एफ 7 (1) डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन संतानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/–रू.के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे ।

5 विवाहित अभ्यार्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र अथवा विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/– रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावें ।

6 आवेदक द्वारा दहेज नही लिये जाने का स्व घोषणा पत्र प्रारूप प्राप्त किया जावे ।

7 आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से नियुक्ति दिये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगें, मिलान में यदि कोई भिन्नता की स्थिति पाई जावे तो उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवावें ।

लगातार पेज 2....

8 संबंधित आशार्थियों को कार्यग्रहण करवानें से पूर्व इस आशय का 50रू.का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे कि उनके द्वारा प्रस्तुत सुचनाऐं एवं दस्तावेज सही है,इनके त्रुटिपूर्ण,जाली अथवा कूट रचित पाये जाने पर इनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं इनके विरूद्व नियमानुसार विधिक कार्यवाही करनें हेतु विभाग स्वतंत्र होगा ।

9 यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेल कूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है,तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर संबंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित/प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उनकी सत्यापित प्रति अभिलेख में रखनें के उपरान्त ही उन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे ।

10 यह नियुक्तियां चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती परीक्षा 2018 के प्रमाण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगी ।

11 कार्यग्रहण करानें से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है ।

12 कार्यग्रहण करवानें से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक– प.7 (3) कार्मिक /क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचन बद्धता (UNDERTAKING) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे ।

13. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए महिला आवेदको के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु महिला अभ्यर्थी अपनें पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा ।ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपनें स्तर पर करनें के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को कार्यग्रहण करावें ।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन्न स्थान पर दिनांक 27.01.2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करनें पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा । उक्त नियुक्ति आदेश विभाग द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर से प्राप्त अनुमति के आधार पर जारी किए जा रहे हैं। आशार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाऐं सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस/सूचना के इनकी सेवाऐं समाप्त की जायेंगी। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न–सूची संख्या 1

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक जैसलमेर

क्रमांकः–जिशिअ/मु–मा/जैसल /संस्था–1/नियु.शा.शि./2020/1797-1812 दिनांकः– 16/01/2020

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1.श्रीमान निदेशक,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर ।
2.श्रीमान संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ,जोधपुर।
3.श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (सीडीईओ) जिला जैसलमेर
4 श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक जैसलमेर
4.मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) जैसलमेर /सम/पोकरण
5.संबंधित संस्था प्रधान ....।
6.संबंधित आशार्थी ....।
7.रक्षित पत्रावली ।

16/1/2020

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक जैसलमेर

कार्यालय–जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा विभाग जैसलमेर

क्रमांक – 1797–1812 दिनांक – 16/01/2020

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती परीक्षा–2018 के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा गैर-अनुसूचित क्षेत्र हेतु अन्तिम रूप से चयनित एवं अभिशंसित अभ्यर्थियों को काउन्सलिंग दिनांक 07.12.2019 में सहमति के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में पदस्थापन

SNO	Merit No.	ROLLNO	NAME	FNAME	DOB	GENDER	CAT	SEL_CAT	Address	Block	Gram Panchayat	Name of School	Candidate Photo
1	3553	514533	SALOCHANA DEVI	LAL CHAND	07-Dec-90	Female	OBC	OBC	vpo-rampura nyola TEH - SURATGARH PINCODE 335804 DIST.Sri Ganganagar	SAM	RAYMALA	GOVT.SR. SEC. SCH_RAYMALA	
2	1231	509632	SONU	SULTAN SINGH	12-Sep-87	Male	GEN	GEN	V.P.O JAMAWARI TEH HANSI DISTT HISAR HANSI PINCODE 125033 DIST.HISAR	POKARAN	DATAL	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL JHHALORA BHATIYAN (475912)(08160205202)	
3	1795	505023	KRISHAN SINGH	DAN SINGH	15-May-89	Male	GEN	GEN	VPO NEOLI KALAN, HISAR, HISAR, NEOLI KALAN	POKARAN	BHANIYANA	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL HARIYALE NADI (429192)(08160220304)	
4	1839	507316	HARIRAM MOOND	BHANWAR LAL MOOND	11-Apr-78	Male	OBC	GEN	WARD NO . 02 moondsar - MOONDSAR PINCODE 334202 DIST.BIKANER	JAISALMER	BODANA	GOVT. GIRLS UPPER PRIMARY SCHOOL BODANA (475709)(08160104604)	
5	2022	509981	SUNIL	CHENARAM	01-Jul-94	Male	OBC	OBC	DAYA SAGAR VIL/POST-KHARA TEH- PHOLODI CITY KHARA PINCODE 345023 DIST. JAIPUR	POKARAN	BHUJGARH	GOVT UPS _MADURO KI DHANI(08160209901)	
6	2596	514138	JAVED LODHI	MOHD SHAKEEL LODHI	16-Jun-90	Male	OBC	OBC	GALI NO 7 DHOBI TALAI - BIKANER PINCODE 334001 DIST.BIKANER	SAM	SANGAR	GOVT.UPS_BHALANI(08160304404)	
7	2667	507967	GANESH	RAM LAL	15-Jul-89	Male	OBC	OBC	VILLAGE / POST - CHITTAR BERA BOJASAR TEHSIL - PHALODI CITY JODHPUR PINCODE 342311 DIST. JODHPUR	POKARAN	JALORA POKRANA	GOVT.SR. SEC_JALORA POKARANA	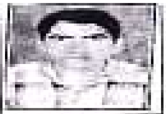
8	6359	506651	AJAY KATARIA	CHOTU LAL GURJAR	01-Jul-74	Male	MBC	MBC	VILLAGE KAYAD, MDSU ROAD, AJMER, AJMER	SAM	MANDAI	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MANDAI SAM JAISALMER (220555)	

16/1/2020

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक जैसलमेर